न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा0 खा0 अपील वाद सं0– 15/2019-20

सुषमा कुमारी पति सुबोध कुमार गुप्ता — अपीलकर्त्ता
ग्राम–सुनगी, थाना–कर्रा, जिला–खूँटी।

बनाम्

अंचल अधिकारी, खूँटी। — विपक्षी

आदेश

21.06.19

अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–1496R27/18-19 में अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.03.19 के विरूद्ध दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:–

मौजा	थाना/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा(एकड़ में)
खूँटी टोली	खूँटी 80	416	1499	0.08¼

अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, खूँटी के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा एवं अपील संस्थित करने वो सुनवाई का प्रर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा0 खा0 अपील वाद में अंगिकार किया गया। आवेदक कथन करते है कि उन्होने उपरोक्त भूमि पंजीकृत बिक्री केवाला सं0 185/179 दिनांक 06.02.19 से क्रय की है। उपरोक्त केवाला पट्टा के निष्पादनकर्त्ता ममता देवी पति श्री प्रकाश साहु है।

आवेदक/अप्लिकेंत पुनः कथन करते है कि अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.03.19 तथ्य एवं विधि विरूध है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदक को सुने बिना एवं बिना आम सूचना के उपरोक्त आदेश पारित किया है जो प्राकृति न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है।

अंचल अधिकारी, खूँटी ने हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार आवेदन पत्र में ग्राम– खूँटी के जगह खूँटी टोली दर्ज किये जाने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की गयी है। अधिवक्ता अपील स्वीकार करने का प्रर्थना करते है।

अधिवक्ता के बहस को सुना एवं पाया कि आवेदक के द्वारा मौजा खूँटी के जगह खूँटी टोली आवेदित कर दिया गया है। निबंधित पट्टा सं0 185/179 दिनांक 06.02.19 में मौजा खूँटी थाना खूँटी थाना नं0 83 खाता सं0 416 प्लॉट सं0 1499 रकबा 0.08¼ अंकित है।

अतः अपील वाद स्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि निबंधित पट्टा के अनुसार पुनः आवेदन प्राप्त कर दाखिल खारीज करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।

लेखापित एवं संशोधित

21/06/19
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

21/06/19
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।